

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-3490 / 2022

राजेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र श्री ओमकार मल बैरवा, निवासी- 4 / 65, हाउसिंग बोर्ड, टोंक हाल। कर्मचारी आई.डी.-आरजेटीओ200836049589

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बन्ध्या बस्ती, जयपुर।
5. अनोखी मीणा, व्याख्याता उर्दू, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोजत सिटी, जिला पाली।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.09.2022

उपस्थित

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाती है।
2. अपीलार्थी का चयन अध्यापक ग्रेड-तृतीय में हुआ था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 14.08.2021 के द्वारा स्थानांतरण राजकीय उच्च मा. विद्यालय भीम, राजसमंद से राजकीय उच्च मा. विद्यालय, बन्ध्या बस्ती, जयपुर में हुआ था। 10 माह की अल्प अवधि में ही निजी प्रत्यर्थी के स्वयं की प्रार्थना पर उसे एडजस्ट करने की दृष्टि से आलोच्य आदेश दिनांक 18.08.2022 (अनुलग्नक-1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानांतरण जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत सिटी, जिला पाली में कर दिया गया है और निजी प्रत्यर्थी को

अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की पुत्री के दिल में छेद है। अपीलार्थी की पुत्री का लगातार जयपुर में इलाज चल रहा है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। समंजन के संबंध में जो बात अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कही है, वो माने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई आधार किसी भी दस्तावेज से प्रकट नहीं होता है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया हो। इसके अलावा समंजन के विषय में स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने का न्याय निर्णय शिल्पी बोस के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कही है। यदि इस स्थानांतरण से उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयां बढ़ती है तो वह विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में मध्यप्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव (1995) 3 एस.सी.सी. 270 के निर्णय में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।
4. अतः प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी की व्यक्तिगत कठिनाइयों को, जो अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष बताई हैं उन तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में अभ्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।
5. उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निस्तारित किये जाने तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 18.08.2021 (अनुलग्नक-1) की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करने पर बल नहीं देवे। यहां यह स्पष्ट किया जाता

है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)